न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 29/2022 अपील प्रकरण में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा.दी.

1. चांदी देवी पत्नी भैरू लाल गाडरी निवासी भादू, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

बनाम

1. बक्षु पुत्र स्व. रूपाजी गाडरी निवासी पांसल
2. इन्द्रा पुत्री स्व. भैरू गाडरी निवासी पांसल हा.नि. पत्नी राधेश्याम गाडरी नि. मालोला
3. देउ पुत्री स्व. भैरू गाडरी निवासी पांसल हा.नि. पत्नी गोपाल गाडरी निवासी हरणी
4. राधा पुत्री स्व. भैरू गाडरी निवासी पांसल हा.नि. पत्नी शोभालाल गाडरी निवासी कोलपुरा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा
6. अणछी पत्नी प्यारचन्द गाडरी निवासी गांधीनगर भीलवाडा

– विपक्षीगण

उपस्थित –

1. श्री मनीष कांटिया अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री अमित कोठारी अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 से 04 की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.04.2023

अपील प्रकरण में विपक्षी संख्या 02 से 04 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरकरण संख्या 1799 दिनांक 26.05.1994 के विरूद्व अपील पेश की हैं। अपीलाण्ट ने हस्तगत अपीलाधीन आराजियात के संबंध में एक नियमित वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया हुआ हैं, जिसके प्रकरण संख्या 60/2022 रे.वाद कायम होकर जैरकार्यवाही हैं। अतः राजस्व वाद से ही अपीलाण्ट का हक हिस्सा तय होकर खातेदारी अधिकार की घोषणा होनी हैं। ऐसी स्थिति में उक्त नियमित वाद के लम्बित रहते हुये हस्तगत अपील कानुनन मेन्टेनेबल न होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। निवेदन है कि प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 02 से 04 स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी की अपील कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज की जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति अपीलार्थी अधिवक्ता को दिलायी गयी।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

विपक्षी संख्या 02 से 04 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र की बहस में प्रार्थना

सरकार एवं बाबूलाल बनाम राजाराम व अन्य पेश किये हैं।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र गलत तौर प्रस्तुत किया हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण पारित किया हैं, जिसकी सुनवायी राजस्व न्यायालय से संबंधित होने से यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। यह अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार की हैं। निवेदन हैं कि रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं अपील गुणावगुण पर निर्णित की जावे।

प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी ने अपील के साथ साथ खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् वादपत्र उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा में प्रस्तुत कर रखा हैं जिसके प्रकरण संख्या 60/22 राजस्व वाद दर्ज होकर जैरकार हैं। ऐसी स्थिति में जब घोषणात्मक अनुतोष बाबत् राजस्व वाद विचाराधीन हो एवं नामान्तकरण की अपील जो कि एक संक्षिप्त कार्यवाही (summery Procedding) होती हैं जिससे विधिक रूप से किसी के हक अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता हैं, ऐसे में अपीलार्थी की नामान्तरकरण की अपील में निर्णय जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। विपक्षी संख्या 02 से 04 द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार विपक्षी संख्या 02 से 04 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव–

आदेश

विपक्षी संख्या 02 से 04 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। अपील में वर्णित आधारों पर ही खातेदारी घोषणात्मक राजस्व वाद जैरकार होने से, अपीलार्थी की नामान्तकरण की अपील जो कि एक संक्षिप्त कार्यवाही (summery Procedding) होती हैं, जिसमें विधिक रूप से किसी के हक अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता हैं, ऐसे में अपीलार्थी की नामान्तरकरण की अपील में निर्णय किया जाना न्यायोचित नहीं होने से, अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2023 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा